[2019] 1 एस. सी. आर. 100

आलोक कुमार वर्मा

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1309)

जनवरी 08,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, संजय किशन कौल और

के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003-एस. 8 (1) (क), (घ) और 11 सी. वी. सी. और भारत सरकार की क्षमता

निदेशक, सी. बी. आई. को उसकी सभी शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों से वंचित करना,

एस के तहत गठित समिति की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना पर्यवेक्षी भूमिका आदि। 4 डी. एस. पी. ई. अधिनियम का ए. (1) निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए सिफारिशें-आयोजितः विकास के लंबे इतिहास से पता चलता है कि सी. बी. आई. के संस्थान को सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से दूर रखा गया है ताकि यह बिना किसी डर और पक्षपात के प्रमुख जांच और अभियोजन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभा सके।

और सर्वोत्तम लोक हित में-संस्थान का प्रमुख, अर्थात् निदेशक, स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्रता और अखंडता का आदर्श होना चाहिए, जिसे केवल सभी प्रकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप से स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, सिवाय उस सीमा के जब तक संसद ने इरादा किया हो-इस तरह के इरादे के लिए सभी प्राधिकरणों को निदेशक के कामकाज में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने से दूर रहने की आवश्यकता होगी-ऐसी स्थिति में जहां इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, सार्वजनिक हित को आवश्यकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए-ऐसी अनिवार्य आवश्यकता को जन्म देने वाले कारणों की प्रासंगिकता और पर्याप्तता का परीक्षण केवल एस के तहत गठित समिति की राय से किया जा सकता है। 4 डी. एस. पी. ई. अधिनियम का ए. (1) जिसके लिए सिफारिशें करने की शक्ति

निदेशक की नियुक्ति संसद द्वारा निहित की गई है-यह अकेले यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है कि

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यालय की स्वतंत्रता। 4 (1) , 4 ए, 4 बी-लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013।

सी. बी. आई.-सी. बी. आई. का संक्षिप्त इतिहास-सी. बी. आई. की उत्पत्ति-देश में पुलिस बल शुरू में पुलिस अधिनियम, 1861 डी. एस. पी. ई. द्वारा शासित था। पुलिस के लिए एक अपवाद बनाने के लिए 1946 में अधिनियम बनाया गया था।

अधिनियम, 1861 यह डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 द्वारा अस्तित्व में लाया गया डी. एस. पी. ई. है जिसे आज सी. बी. आई. के रूप में जाना जाता है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 - एस. 4 ए और एस. 4 बी-विधायी आशय-आयोजितः एस लाने में स्पष्ट विधायी इरादा। 4 ए और एस। 4 कानून की पुस्तक में बी निदेशक, सी. बी. आई. के कार्यालय को सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ-साथ समग्र रूप से सी. बी. आई. की संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से है-यदि विधायी इरादा राज्य के किसी भी प्राधिकरण को निदेशक, सी. बी. आई. के खिलाफ अंतरिम उपाय करने की शक्ति प्रदान करना होता, जिससे निश्चित रूप से उनके कामकाज पर असर पड़ता है। कानून में उस प्रभाव के लिए सक्षम प्रावधान शामिल होते और इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग शब्दों में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का मसौदा तैयार किया जाता।

रिट याचिकाओं और आई. ए. का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीवीसी अधिनियम, 2003 का अधिनियमन और उक्त द्वारा किए गए संशोधन

डी. एस. पी. ई. अधिनियम (सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 की धारा 26 द्वारा) में अधिनियमन, अन्य बातों के साथ-साथ, विनीत नारायण के पैराग्राफ 58 में इस न्यायालय के परिचालन निर्देशों की अगली कड़ी है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के साथ-साथ निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के तरीके और तरीके, जैसा कि विनीत नारायण में इस न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया है, का संसद द्वारा ईमानदारी से पालन किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्या 1) द्वारा डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए में संशोधन करने में भी संसद ने विनीत नारायण में दिए गए इस न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है क्योंकि निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए समिति को बदलने का उद्देश्य, सी. बी. आई. को एक उच्च शक्ति चयन समिति प्रदान करने की आवश्यकता बताई गई है।

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निदेशक का चयन "। [पैरा 32] [123-एफ-एच; 124-ए-बी] [2019] 1 एस. सी. आर.

विनीत नारायण और अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (1998) 1 एस. सी. सी. 226 [1997] 6 पूरक। एससीआर 595-निर्भर

पर।

2. डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए और धारा 4 बी को कानून की पुस्तक में लाने का स्पष्ट विधायी इरादा इस उद्देश्य के लिए है।

निदेशक, सी. बी. आई. के कार्यालय को सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए।

ऐसा समझा जाता है कि केवल ऐसे मामलों में, यानी विशुद्ध रूप से स्थानांतरण की, ऐसी व्याख्या आत्म-पराजय होगी और स्पष्ट रूप से विधायी इरादे को नकार देगी। ऐसी स्थिति में राज्य प्राधिकरण निदेशक, सी. बी. आई. को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा। ज्ञात और अज्ञात विभिन्न तरीकों को अपनाकर कार्य करना, जो हस्तांतरण के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के समान प्रभाव होगा, अर्थात्, पहले के पद की शक्तियों और कार्यों के प्रयोग की समाप्ति। यह स्पष्ट रूप से वह नहीं है जो विधायिका का इरादा हो सकता था। विकास के लंबे इतिहास से पता चला है कि सी. बी. आई. की संस्था को अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से दूर रखा गया है ताकि वह बिना किसी डर और पक्षपात के और सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में प्रमुख जांच और अभियोजन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। संस्थान के प्रमुख, अर्थात् निदेशक, स्वाभाविक रूप से, का आदर्श होना चाहिए

स्वतंत्रता और अखंडता जो केवल सभी प्रकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप से स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, सिवाय उस सीमा के जब तक संसद ने इरादा किया हो। इस तरह के इरादे के लिए सभी प्राधिकरणों को आपस में मिलने या अलोक कुमार वर्मा बनाम से बचने की आवश्यकता होगी।

निदेशक के कार्य में हस्तक्षेप करना। ऐसी स्थिति में जहां इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता की पृष्ठभूमि में जनहित को व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए। ऐसी अनिवार्य आवश्यकता को जन्म देने वाले कारणों की प्रासंगिकता और पर्याप्तता का परीक्षण केवल डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4ए (1) के तहत गठित समिति की राय से किया जा सकता है, जिसमें निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने की शक्ति संसद द्वारा निहित की गई है। यह अकेले विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए संशोधन से समिति की स्थिति में वृद्धि हुई है।

(2014 का अधिनियम संख्या 1) यह बिना कहे नहीं जा सकता है कि निदेशक के कार्यालय को किसी भी स्थिति से बचाने और बचाने का विधायी इरादा है।

संसद के दिमाग में इस तरह का बाहरी प्रभाव सबसे प्रमुख रहा है जो संसद में हुए परिवर्तनों में प्रकट हुआ है। कानून लाया गया। [पारस 34,36] [125-सी-डी; 126-बी-एच; 127-ए-बी]

3. सीवीसी के विनिवेश के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेश

शक्तियाँ, कार्य, कर्तव्य, पर्यवेक्षी भूमिका आदि। निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में 'ए. के. एस.' का; भारत सरकार द्वारा 'ए. के. एस.', निदेशक, सी. बी. आई. को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक अपने कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों और पर्यवेक्षी भूमिका से वंचित करना; जिसके द्वारा एक एम. एन. आर., आई. पी. एस., संयुक्त निदेशक, सी. बी. आई. को तत्काल प्रभाव से निदेशक, सी. बी. आई. के कर्तव्यों और कार्यों को देखने के लिए कहा गया है। इस मामले पर अब समिति द्वारा डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 की धारा 4ए (1) के तहत विचार किया जाएगा जो जल्द से जल्द किया जा सकता है। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति की एक बैठक बुलाई जा सकती है। चूंकि निदेशक, सी. बी. आई. की शक्ति और अधिकार के विनिवेश का मुद्दा अभी भी समिति द्वारा विचार के लिए खुला है, इसलिए यह निर्देश देना उचित समझा जाता है कि याचिकाकर्ता, निदेशक, सी. बी. आई., बहाली के बाद, कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेना बंद कर देगा और तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी कार्रवाइयों और निर्णयों की अनुमति देने वाला समिति का निर्णय संकेतित समय सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हो जाता। मध्यावधि के दौरान और इस आदेश के संदर्भ में सी. बी. आई. के निदेशक के रूप में याचिकाकर्ता की भूमिका बिना किसी नई पहल के चल रहे नियमित कार्यों के अभ्यास तक ही सीमित रहेगी, जिसका कोई बड़ा नीति या संस्थागत प्रभाव नहीं होगा। [पारस 39-41] [127-G-H; 128-A-F] [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शंकरसन दास बनाम। भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47:

[1991] 2 एस. सी. आर. 567; जय सिंह दलाल और अन्य बनाम। राज्य

हरियाणा और एक अन्य (1993) सप। 2 एससीसी 600: [1992]

3 पूरक। एस. सी. आर. 816; प्रकाश सिंह और अन्य बनाम संघ

भारत और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 1: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 473 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 6 पूरक। एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1991] 2 एससीआर 567

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

[1992] 3 पूरक। एससीआर 816

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2006] 6 पूरक। एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1309 2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 1315।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, पी. एस. नरसिम्हा, एएसजी,

सुभाष सी. शर्मा, विश्वजीत सिंह, पंकज सिंह, सुश्री रिधिमा सिंह, प्रशांत भूषण आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री एल. चरण्या, बी. के. प्रसाद, सुश्री तातिनी बसु, रजत नायर, कानू अग्रवाल, मनन पोपली, रणविजय सिंह, सचिन शर्मा, वी. सी. शुक्ला, राहुल तनवानी, अरविंद कुमार शर्मा, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री हर्षल गुप्ता, शाश्वत सिंह, देवदत्त कामत, निजाम पाशा, वरुण चोपड़ा, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, आदित्य भट, सुश्री आयशा सिंह, अश्विन जी. राज, गौतम इंद्र तालुकदार, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नूपुर कुमार, सुश्री प्रियांशा शर्मा, दर्पण सचदेवा, पारस नाथ सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, सीजेआई 1. कि कानून का शासन आधार है

लोकतंत्र को शायद ही दोहराने की आवश्यकता होगी। हालांकि दृढ़ता से

सिद्धांत यह हो सकता है कि यह समय-समय पर अदालतों का सामना करने वाली असंख्य स्थितियों में परखा जाता है। वर्तमान ऐसा ही एक अवसर है।

2. 23 अक्टूबर, 2018 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (इसके बाद "सीवीसी" के रूप में संदर्भित) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद) के निदेशक श्री आलोक कुमार वर्मा को हटाने का आदेश पारित किया। सी. बी. आई. के निदेशक के रूप में उन्हें निहित शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों, पर्यवेक्षी भूमिका आदि को "सी. बी. आई". के रूप में संदर्भित किया जाता है। उक्त अभ्यास

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और पद धारण करने वाले दो अन्य सतर्कता आयुक्तों द्वारा हस्ताक्षरित 23 अक्टूबर, 2018 के उपरोक्त आदेश द्वारा शक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (ए) और 8 (1) (बी) के तहत बताई गई है।

सीवीसी अधिनियम ") जिसे दिल्ली विशेष पुलिस की धारा 4 (1) के साथ पढ़ा जाता है।

स्थापना अधिनियम, 1946 (इसके बाद "डी. एस. पी. ई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. को उनके कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों और पर्यवेक्षी भूमिका से अलग करना, विशेष रूप से, उन सभी मामलों के संबंध में है जो पहले से ही दर्ज हैं और/या दर्ज किए जाने की आवश्यकता है और/या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद "पी. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत पूछताछ/पूछताछ/जांच की जा रही है।

3. उपरोक्त आदेश को एक अंतरिम उपाय की प्रकृति में कहा गया है जब तक कि एक में निहित आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती है 24 अगस्त, 2018 की शिकायत कैबिनेट सचिव द्वारा 31 अगस्त, 2018 के पत्र द्वारा सीवीसी को प्रस्तुत/अग्रेषित की गई।

4. सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के उक्त आदेश के बाद भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उसी तारीख यानी 23 अक्टूबर, 2018 को श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. को अपने कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों और पर्यवेक्षी भूमिका से वंचित कर दिया।

निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में तत्काल प्रभाव से और आगे तक

आदेश देते हैं।

5. इसी तारीख का एक और आदेश है, जो भारत सरकार के कार्मिक, सार्वजनिक मंत्रालय का 23 अक्टूबर, 2018 का है। शिकायत और पेंशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसके द्वारा श्री एम. नागेश्वर राव, आई. पी. एस., संयुक्त निदेशक, सी. बी. आई. को तत्काल प्रभाव से सी. बी. आई. निदेशक के कर्तव्यों और कार्यों को देखने के लिए कहा गया है।

6. उपरोक्त तीन आदेशों की वैधता और वैधता 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1309 में दायर की गई चुनौती का विषय है।

श्री आलोक कुमार वर्मा के साथ-साथ कॉमन कॉज द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.1315 में जो एक पंजीकृत सोसायटी [2019] 1 एस. सी. आर. होने का दावा करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसकी स्थापना वर्ष 1980 में स्वर्गीय श्री एच. डी. शौरी द्वारा "लोगों की आम समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान को सुरक्षित करने" के उद्देश्य से की गई थी। 7. उपरोक्त तीन आदेशों में हस्तक्षेप के अलावा, कॉमन कॉज द्वारा दायर रिट याचिका में आगे की प्रार्थना की गई है

श्री राकेश अस्थाना, विशेष निदेशक, सी. बी. आई. (प्रतिवादी नं. 4 सी. बी. आई. से लिखित याचिका (सिविल) संख्या 2018 की 1315) और सी. बी. आई. के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और श्री राकेश अस्थाना, विशेष के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (संक्षेप में एस. आई. टी.) के गठन के लिए। निदेशक, सी. बी. आई., जिनका विवरण कॉमन कॉज द्वारा दायर रिट याचिका में उल्लिखित है।

8. सीवीसी का 23 अक्टूबर, 2018 का आदेश काफी लंबा है

और विस्तृत। इसमें अनिवार्य रूप से जो कहा गया है वह यह है कि 24 अगस्त, 2018 की एक शिकायत मंत्रिमंडल द्वारा सीवीसी को भेजी गई थी सचिव ने 31 अगस्त, 2018 के पत्र द्वारा, जिसमें प्रथम दृष्टया, निदेशक, सी. बी. आई., श्री आलोक कुमार वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया गया है।

सीवीसी ने इसकी सामग्री पर ध्यान देना उचित समझा और संबंधित अभिलेखों के साथ निदेशक, सी. बी. आई. से स्पष्टीकरण/टिप्पणियां मांगी थीं। सीवीसी के अनुसार, मामले में सहयोग करने के बजाय, निदेशक, सीबीआई ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में जानकारी मांगी थी जिसने इस संबंध में कैबिनेट सचिव से शिकायत की थी और विशेष निदेशक, सीबीआई श्री राकेश अस्थाना के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाने की हद तक गया था। श्री आलोक कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का विवरण भी सीवीसी के संज्ञान में लाया, जिसमें विशेष निदेशक, सी. बी. आई. के शामिल होने का आरोप लगाया गया था। 9. 23 अक्टूबर, 2018 के सी. वी. सी. के आदेश में आगे यह दर्ज किया गया है कि सी. बी. आई. के विशेष निदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भी

श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. के खिलाफ गंभीर आरोप और वास्तव में, 15 अक्टूबर, 2018 को सी. बी. आई. ने श्री अस्थाना के खिलाफ 2018 में संशोधित पी. सी. अधिनियम की धारा 7 और 13 (2) के साथ 13 (1) (डी) और धारा 7 ए के तहत ए. सी. 3, नई दिल्ली की 2018 की आर. सी. 13 ए. दर्ज की थी। कथित आर. सी. मामला सतीश बाबू सना की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो विशेष निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा जांच किए गए मामले में आरोपी है। साथ ही सीवीसी ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि श्री राकेश अस्थाना, विशेष निदेशक, सीबीआई ने रिकॉर्ड किया था

विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी कि भारी मात्रा में रिश्वत सतीश बाबू सना के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचने के लिए निदेशक, सी. बी. आई. को दिया गया था।

10. इन परिस्थितियों में, जिसे कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है, सीवीसी ने सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (ए), 8 (1) (डी) और 11 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके 23 अक्टूबर, 2018 को निदेशक, सीबीआई को हटाने का विवादित आदेश पारित करना उचित समझा था

उसकी शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों आदि का विवरण पहले ही नोट किया जा चुका है।

11. भारत सरकार के दो और आदेश, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक विभाग

12. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह उपरोक्त आदेशों की वैधता, वैधता और शुद्धता और उसमें वर्णित कार्रवाई है जो दो रिट याचिकाओं के साथ-साथ विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदनों में हमारे सामने चुनौती दी गई, जिसका विवरण में नोट किया जाएगा

नियत समय पर।

13. यह वर्तमान चर्चा की दहलीज पर है कि सी. बी. आई. नामक संगठन के एक संक्षिप्त इतिहास को याद किया जा सकता है। देश में पुलिस बल शुरू में पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित था। उक्त अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया थाः

" 3. राज्य सरकार में अधीक्षण।

एक सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित होगा और उसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिसके लिए ऐसा जिला अधीनस्थ है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत किए जाने के अलावा, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने या नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

कोई भी पुलिस अधिकारी "।

14. डी. एस. पी. ई. अधिनियम वर्ष 1946 में पुलिस अधिनियम, 1861 को अपवाद बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यही बात खंड से भी स्पष्ट है।

2 (1) जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 2. पुलिस प्रतिष्ठान का संविधान और शक्तियाँ।

(1) पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) में कुछ भी होने के बावजूद केंद्र सरकार एक विशेष पुलिस बल का गठन कर सकती है -

के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कहा जाए

के तहत अधिसूचित अपराधों के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जांच

खंड 3.

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. प्रारंभ में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का प्रशासन डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों द्वारा शासित था जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया गया थाः

" 4. एस. पी. ई. का पर्यवेक्षण और प्रशासन

(1) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण

केंद्र सरकार में निहित होगी।

(2) उक्त पुलिस प्रतिष्ठान का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त एक अधिकारी के पास निहित होगा जो उस पुलिस प्रतिष्ठान के संबंध में किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो केंद्र सरकार करे। इस संबंध में निर्दिष्ट करें "।

16. यह डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 द्वारा अस्तित्व में लाया गया दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है जिसे आज सी. बी. आई. के नाम से जाना जाता है। संगठन की उत्पत्ति का इस न्यायालय द्वारा विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 में संक्षिप्त रूप से पता लगाया गया है और प्रासंगिक विवरण की रिपोर्ट के पैराग्राफ 30 और 31 में उपलब्ध हैं।

विनीत नारायण (ऊपर) में यह न्यायालय। संक्षेप में और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, भ्रष्टाचार विरोधी मामलों, आर्थिक अपराधों और विशेष महत्व के सामान्य अपराधों की जांच सी. बी. आई. में निहित हो गई है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (राज्य सरकारों की सहमति से) के क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है।

17. संगठन अर्थात सी. बी. आई. पिछले कुछ वर्षों में अपनी भूमिका, शक्ति और महत्व में विकसित हुआ है और आज वह प्रमुख जांचकर्ता बन गया है।

और देश की अभियोजन एजेंसी। संस्थान ने जो उच्च कद और प्रतिष्ठित पद हासिल किया है, वह काफी हद तक इस तरह की प्रमुख एजेंसी की आवश्यकता के बारे में एक मजबूत धारणा के कारण है। इस तरह की धारणा समय-समय पर सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के सचेत प्रयासों में परिलक्षित होती है, ताकि संस्था को अखंडता के मामले में अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

स्वतंत्रता और विश्वास। इस तरह के प्रयासों पर एक बारीकी से नज़र डालने का अब क्रम होगा।

1 (1998) 1 एस. सी. सी. 226 आलोक कुमार वर्मा बनाम।

भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

18. विनीत नारायण (ऊपर) में इस तरह के घटनाक्रमों पर पहले ही विस्तार से ध्यान दिया जा चुका है। समिति की सिफारिशें

श्री एन. एन. वोहरा के नेतृत्व में सरकारी आदेश सं. एस/7937/आई. एस. पी. (आई. एस. पी.)/93 दिनांक 9 जुलाई, 1993 और सरकारी आदेश संख्या 226/2/97-ए. वी. डी. द्वारा गठित स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई. आर. सी.)

8 सितंबर, 1997 के द्वितीय ने सी. बी. आई. और सी. वी. सी. को उनका वर्तमान आकार और रूप देने और देश में कानून प्रवर्तन प्रणाली में इन दोनों निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका और स्थिति देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। संयोग से, सी. वी. सी. केंद्र सरकार द्वारा 11 फरवरी, 1964 को जारी प्रस्ताव ए. वी. डी. द्वारा स्थापित होने पर एक प्रशासनिक निकाय के रूप में अस्तित्व में था, जब तक कि आई. आर. सी. की सिफारिशों के आधार पर सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, जिसके सारांश पर अब सी. बी. आई. और सी. वी. सी. के संबंध में ध्यान दिया जा सकता है।

" सारांश

सिफारिशें

I. सी. बी. आई और सी. वी. सी.

1. सी. वी. सी. को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा; केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी

राष्ट्रपति (पैरा 4.2)

2. सीवीसी के चयन के लिए एक समिति का गठन (पैरा 4.3)

4. सरकार को सी. बी. आई. की रिपोर्टिंग को इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता को कम किए बिना सुव्यवस्थित किया जाएगा (पैरा 3)
5. सी. वी. सी. का पर्यवेक्षी कार्य स्थानांतरित होने के बाद सी. बी. आई. के कामकाज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड होगा।

यह (पैरा 6)
6. निदेशक सी. बी. आई. के चयन के लिए नामों के पैनल की पहचान करने के लिए एक चयन समिति का गठन; ऐसे पैनल से ए. सी. सी. द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा (पैरा 8.2)

7. केंद्र सरकार पुलिस प्रमुख के चयन के लिए विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रयास करेगी (पैरा

8.3)

8. निदेशक सी. बी. आई. का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का होगा (पैरा 8.4)।
9. निवर्तमान निदेशक सी. बी. आई. के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

चयन समिति का (पैरा 8.5)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. निदेशक सी. बी. आई. जांच दलों के गठन सहित एजेंसी के भीतर काम के आवंटन के लिए पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा (पैरा 8.6) 11. संयुक्त निदेशक (जे. डी.) के स्तर तक अधिकारियों के कार्यकाल का चयन/विस्तार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तहत एक बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा; जे. डी. और उससे ऊपर के लिए ए. सी. सी. (पैरा 8.7) की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

12. मौजूदा कार्यकाल नियमों में बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है (पैरा 8.8) 13. बुनियादी ढांचे में सुधार, जांच के तरीकों आदि के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए (पैरा 8.9.2)

14. सी. बी. आई. में स्थायी कोर समूह के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

15. निर्धारित जांच प्रक्रियाओं से भटकने वाले अधिकारियों के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई (पैरा 9.1) 16. निदेशक सी. बी. आई. अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा (पैरा 9.2)

17. सी. बी. आई. के कामकाज पर दस्तावेज़ तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाएगा (पैरा 9.4)

18. निर्णय लेने के स्तर पर अधिकारियों को परेशान करने वाली पूछताछ/अभियोजन से बचाने के लिए आवश्यक (पैरा 10.6)

19. सचिवों को पी. ई./आर. सी. के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। सीबीआई को मिलेगी छूट

यदि निर्णय निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया जाता है तो आगे बढ़ें (पैरा 10.9) 20. प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव अनुरोध प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर पीई/आरसी के पंजीकरण के संबंध में निर्णय से अवगत कराएंगे। अगर फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो सीबीआई निदेशक ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं

चार सप्ताह की अवधि के भीतर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को नया संदर्भ और बाद वाले को चार सप्ताह की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेने के लिए (पैरा 10.10) 21. रिश्वत जैसे अपराधों को शामिल नहीं करने के लिए एकल निर्देश के तहत संरक्षण, जब प्रथम दृष्टया एक सफल जाल में स्थापित हो (पैरा 10.12)

आलोक कुमार वर्मा बनाम। भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

22. केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामलों को इसके दायरे में लाया जाएगा

एकल निर्देश (पैरा 10.13)

23. अभियोजन के लिए मंजूरी के लिए 3 महीने की समय सीमा। जहाँ महान्यायवादी या महान्यायवादी के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, वहाँ एक महीने के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है (पैरा।

10.14 और 10.15)

25. राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे मामले जिनके अंतर-राज्य या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव नहीं हैं, उन्हें नहीं होना चाहिए। राज्यों/न्यायालयों द्वारा सी. बी. आई. को सौंपा जाए (पैरा 11.2)

26. सरकार सी. बी. आई. मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करेगी (11.3)
27. ज्यादती के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई; अदालतों द्वारा दंडित किए गए अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई (पैरा।

11.4)

28. सी. बी. आई. निदेशक कर्मियों का नियमित मूल्यांकन करेंगे

भ्रष्ट और अक्षम लोगों को बाहर निकालें, और सख्त अनुशासन बनाए रखें

संगठन के भीतर (पैरा 11.5) "

19. विनीत नारायण ए) में इस न्यायालय की रिपोर्ट के पैराग्राफ 58 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश दिए गए हैं जो

उस समय तक क्षेत्र को धारण करने के लिए जब तक कि आवश्यक वैधानिक

नियम लागू किए जाते हैं, इस न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय की रिपोर्ट का ग्राफ 58

वी. सी. और सी. बी. आई. निम्नलिखित शब्दों में चिंतित हैंः

" 58. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम एतद्वारा निर्देश देते हैं कि

इसके अंतर्गतः I. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) और

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी. वी. सी.) दिया जाएगा।

वैधानिक स्थिति।

लोक सेवकों का अभियोजन जो लंबित है सक्षम प्राधिकारी, विशेष रूप से वे जिनमें मंजूरी में देरी हुई है या अस्वीकार कर दिया गया है।

4. केंद्र सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी -

5. सी. वी. सी. के पास पर्यवेक्षी कार्य स्थानांतरित होने के बाद सी. बी. आई. के कामकाज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड होगा। 6. निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए सिफारिशें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गृह सचिव और सचिव के साथ एक समिति द्वारा की जाएंगी।

(कार्मिक) सदस्यों के रूप में। समिति द्वारा सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए वर्तमान निदेशक के विचारों पर विचार किया जाएगा। यह समिति आई. पी. एस. अधिकारियों का एक पैनल उनकी वरिष्ठता, ईमानदारी, जांच में अनुभव और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के आधार पर बनाएगी। अंतिम चयन द्वारा किया जाएगा

चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.)। यदि पैनल में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा और समिति को एक नया पैनल तैयार करने के लिए कहा जाएगा।

आलोक कुमार वर्मा बनाम। भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

7. निदेशक, सी. बी. आई. का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मामले में उपयुक्त अधिकारी को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाए क्योंकि उसके पास अपनी नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्त होने के लिए दो साल से भी कम समय है।

8. एक असाधारण स्थिति में एक निवर्तमान निदेशक, सी. बी. आई. का स्थानांतरण

स्थिति, जिसमें एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता भी शामिल है, को चयन समिति की मंजूरी मिलनी चाहिए। 9. निदेशक, सी. बी. आई. को एजेंसी के भीतर काम के आवंटन के साथ-साथ जांच के लिए टीमों का गठन करने की भी पूरी स्वतंत्रता होगी। निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा हेड में किया गया कोई भी बदलाव

जांच दल का गठन ठोस कारणों से किया जाना चाहिए और जांच में सुधार के लिए कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।

10. संयुक्त निदेशक (जे. डी.) के स्तर तक के अधिकारियों के कार्यकाल का चयन/विस्तार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव और सचिव वाले बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(कार्मिक) निदेशक, सी. बी. आई. के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए। संयुक्त निदेशक के स्तर तक के अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार या समय से पहले प्रत्यावर्तन इस बोर्ड की अंतिम मंजूरी के साथ होगा। केवल संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर के पद के अधिकारियों की नियुक्ति या कार्यकाल के विस्तार से संबंधित मामलों को निर्णय के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ए. सी. सी.) को भेजा जाएगा।

11. बुनियादी ढांचे में सुधार, जांच के तरीकों आदि के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। सी. बी. आई. की आंतरिक विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए राजस्व, बैंकिंग और सुरक्षा क्षेत्रों के पेशेवरों को सी. बी. आई. में शामिल किया जाना चाहिए।

12. सी. आर. पी. सी. के वैधानिक प्रावधानों पर आधारित सी. बी. आई. नियमावली सी. बी. आई. के कामकाज के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह आवश्यक है कि सी. बी. आई. छापे, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे अपने जांच कार्यों के संबंध में नियमावली के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करे। स्थापित प्रक्रिया से किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. निदेशक, सी. बी. आई. निर्धारित समय-सीमा के भीतर अदालतों में आरोप-पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा और निदेशक द्वारा मामले की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।

सीवीआई।

14. सी. बी. आई. के कामकाज पर एक दस्तावेज़ तीन महीने के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए जांच और जानकारी पर प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके जो संचालन के साथ समझौता न करे।

सी. बी. आई की आवश्यकताएँ।

15. अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए तीन महीने की समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, एक महीने के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है जहां अटॉर्नी जनरल (एजी) या एजी के कार्यालय में किसी अन्य कानून अधिकारी के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।

16. निदेशक, सी. बी. आई. को नियमित मूल्यांकन करना चाहिए

एजेंसी में भ्रष्टाचार और/या अक्षमता को रोकने के लिए कर्मी।

20. इसके बाद सीवीसी अधिनियम, 2003 लागू किया गया। सीवीसी अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ, जहाँ तक वर्तमान अभ्यास की बात है

संबंधित है, सीवीसी अधिनियम की धारा 4 में पाया जाता है जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा सतर्कता आयुक्तों का गठन एक समिति की सिफारिश पर किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः (क) प्रधानमंत्री; (ख) गृह मंत्री और (ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता।

सीवीसी अधिनियम की धारा 6 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त को केवल राष्ट्रपति के आदेश से साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने का विचार किया गया है, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक संदर्भ दिए जाने पर पाया जा सकता है।

राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय में। हालांकि, सीवीसी अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत राष्ट्रपति के पास निलंबन की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ पर जांच लंबित है। सीवीसी अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) भी राष्ट्रपति को अधिकार देती है।

निम्नलिखित मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को पद से हटानाः

" (ए)। दिवालिया घोषित किया जाता है; या (बी)। एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसकी राय में

केंद्र सरकार में नैतिक अधमता शामिल है; या आलोक कुमार वर्मा बनाम।

(सी)। अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न रहता है

अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर; या

(डी)। राष्ट्रपति की राय में, द्वारा पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है

मन या शरीर की दुर्बलता का कारण; या

(ई)। ऐसा वित्तीय या अन्य ब्याज अर्जित किया है जिसकी संभावना है -

केंद्रीय सतर्कता के रूप में उनके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

आयुक्त या सतर्कता आयुक्त "।

21. यद्यपि निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समान उच्च शक्ति समिति की सिफारिश पर की जानी है, डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 में अंतरिम निलंबन या हटाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम यानी डी. एस. पी. ई. अधिनियम को सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था। सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 और डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 में किए गए संशोधनों को स्पष्ट रूप से सी. वी. सी. और सी. बी. आई. के संबंध में विनीत नारायण (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के निकट लाने के लिए बनाया गया था।

22. सी. वी. सी. अधिनियम की धारा 8 के कार्य और शक्तियाँ

सीवीसी जबकि धारा 11 पूछताछ के संबंध में सीवीसी की शक्ति से संबंधित है। सी. वी. सी. अधिनियम के उपरोक्त दो प्रावधानों यानी धारा 8 और धारा 11 द्वारा निहित दोनों शक्तियों को वर्तमान मामले में उन विवादित कार्यों का समर्थन करने और उन्हें उचित ठहराने के लिए लागू किया गया है जो उक्त प्रावधानों को विस्तार से निकालने और नोटिस करने के लिए आवश्यक होंगेः

" 8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियाँ।

(1) . आयोग के कार्य और शक्तियाँ होंगी -

(क) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कामकाज पर अधीक्षण का प्रयोग करें जहाँ तक यह संबंधित है के तहत किए गए
कथित अपराधों की जांच

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या ऐसा अपराध जिसके लिए उप-धारा (2) में निर्दिष्ट लोक सेवक पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत आरोप लगाया जा सकता है -

एक ही मुकदमा;
(बी)। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को उसके अधीन सौंपी गई जिम्मेदारी के निर्वहन के उद्देश्य से निर्देश देना।

दिल्ली विशेष पुलिस की धारा 4 की उप-धारा (1) स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25):

बशर्ते कि खंड (ए) के तहत अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय या इस खंड के तहत निर्देश देते समय, आयोग इस तरह से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा ताकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से किसी विशेष तरीके से किसी मामले की जांच या निपटान करने की आवश्यकता हो।

(सी)। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर पूछताछ या जांच या जांच करना जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक लोक सेवक केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम का कर्मचारी है, सरकारी कंपनी, सोसायटी और उस सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी स्थानीय प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के तहत अपराध किया है या ऐसा अपराध किया है जिसके साथ कोई लोक सेवक दंड संहिता के तहत अपराध कर सकता है।

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), उसी मुकदमे में आरोपित किया जाए; (डी)। जाँच करना या जाँच या जाँच करना

ऐसी श्रेणी से संबंधित किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण के तहत अपराध किया है। अधिनियम, 1988 (1988 का 49) और एक अपराध जिसके साथ उप-धारा (2) में निर्दिष्ट एक लोक सेवक दंड संहिता के तहत अपराध कर सकता है।

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), उसी मुकदमे में आरोपित किया जाए;

(ई)। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के तहत किए गए कथित अपराधों में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा की गई जांच की प्रगति की समीक्षा या लोक सेवक, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत, उसी मुकदमे में आरोपित किया जा सकता है;

(च)। निवारण के तहत अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करना।

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 (1988 का 49);

(जी)। केंद्र सरकार, किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, समितियों और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे मामलों पर सलाह दें जो उस सरकार द्वारा संदर्भित किए जा सकते हैं, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों ने कहा; आलोक कुमार वर्मा बनाम।

भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(एच)। केंद्र सरकार या निगमों के विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता प्रशासन पर पर्यवेक्षण का प्रयोग करना। किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित, सरकारी कंपनियों, समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों के स्वामित्व या नियंत्रण में

बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी आयोग को सतर्कता प्रशासन पर इस तरह से पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं समझा जाएगा जो आयोग के नियमों के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा जारी सतर्कता मामलों से संबंधित निर्देश और आयोग को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना।

किसी भी नीतिगत मामलों से संबंधित;

2. उप-धारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति इस प्रकार हैं:

(ए)। संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र के समूह 'ए' के अधिकारी

(बी)। केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी केंद्रीय अधिनियम, सरकारी कंपनियों, समितियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या उनके तहत स्थापित निगमों के अधिकारियों के ऐसे स्तर, जिन्हें वह सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है: बशर्ते कि जब तक इस खंड के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तब तक उक्त निगमों, कंपनियों, समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी अधिकारियों को उप-धारा (1) के खंड (डी) में निर्दिष्ट व्यक्ति माना जाएगा।

(ग) उप-प्रावधान के तहत लोकपाल द्वारा दिए गए संदर्भ पर।

लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 20 की धारा (1) में उप-धारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा।

(i) केंद्र सरकार के समूह बी, समूह सी और समूह डी सेवाओं के सदस्य;

((ii) किसी भी केंद्रीय अधिनियम, सरकारी कंपनियों, समितियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या उनके तहत स्थापित निगमों के अधिकारियों या कर्मचारियों का ऐसा स्तर, जो केंद्र के स्वामित्व या नियंत्रण में हो।

सरकार, जैसा कि वह सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि इस खंड के तहत अधिसूचना जारी होने तक,

उक्त निगमों, कंपनियों, समितियों के सभी अधिकारी या कर्मचारी

और स्थानीय प्राधिकरणों को निर्दिष्ट व्यक्ति माना जाएगा।

उप-धारा (1) का खंड (घ)।

XXX

XXX

XXX

" 11. पूछताछ से संबंधित शक्ति।

आयोग, में निर्दिष्ट किसी भी जांच का संचालन करते समय

धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में सभी हैं -

सिविल संहिता के तहत मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ

प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) और विशेष रूप से, निम्नलिखित मामले, अर्थात्:

ए। से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना

भारत का कोई भी भाग और शपथ पर उसकी जाँच करना;

बी। किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

सी। शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

डी। किसी भी न्यायालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना। या कार्यालय;

ई. गवाहों या अन्य लोगों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना दस्तावेज़; और

एफ. कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सके। 23. डी. एस. पी. ई. अधिनियम के प्रावधान अधिनियम No.45 द्वारा संशोधित

(केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003) और 2014 का अधिनियम संख्या 1 (लोकपाल)

लोकायुक्ता अधिनियम, 2013) के लिए भी एक विशिष्ट सूचना की आवश्यकता हो सकती है। अनुभाग

उपरोक्त संशोधनों द्वारा प्रस्तुत ए और 4 बी, जिन पर

प्रतिस्पर्धी दलों द्वारा दर तर्क दिए गए हैं, प्रदान करें

कमियाँः

" 4. विशेष पुलिस का अधीक्षण और प्रशासन स्थापना। — (1) दिल्ली विशेष का अधीक्षण

रोकथाम के तहत किए गए कथित अपराध भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 (1988 का 49)
आयोग में निहित होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्यथा दिए गए प्रावधान के अनुसार बचत करें,

अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस प्रतिष्ठान का पर्यवेक्षण

केंद्र सरकार में निहित होगी।

आलोक कुमार वर्मा बनाम। भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(3) उक्त पुलिस प्रतिष्ठान का प्रशासन केंद्र सरकार (जिसे इसके बाद निदेशक के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा इस संबंध में नियुक्त एक अधिकारी में निहित होगा जो उस पुलिस प्रतिष्ठान के संबंध में किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

4ए. निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति। (1) केंद्र सरकार निदेशक की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करेगी जिसमें शामिल हैं:

((a) प्रधानमंत्री

अध्यक्ष;

((b) विपक्ष का नेता

सदन में इस तरह से मान्यता प्राप्त

लोगों का या जहाँ कोई नहीं है

ऐसे विपक्ष के नेता,

तब एकल का नेता

इसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी

- सदस्य;

घर।

((ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश या

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नामित किए गए उसके द्वारा

सदस्य;

(2) निदेशक की कोई भी नियुक्ति केवल समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।

(3) समिति अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(ख) निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के तहत गठित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारियों में से चुना गया। 4बी. निदेशक की सेवा के नियम और शर्तें। — (1) निदेशक, अपनी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

(2) निदेशक का स्थानांतरण धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के अलावा नहीं किया जाएगा।

4 ए "।

24. श्री एफ. एस. नरीमन और श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. और कॉमन कॉज के लिए मामले में बहस की है, ने तर्क दिया है कि सी. बी. आई. के इर्द-गिर्द संस्थागत ढांचा जो वैधानिकता की ओर ले जाता है

विचाराधीन अधिनियम और विनीत नारायण (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में व्यक्त किए गए विचार, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत परिचालन निर्देश शामिल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ सकते हैं कि

संस्थान अर्थात सी. बी. आई. की अखंडता, स्वतंत्रता और महिमा को संरक्षित करने, बनाए रखने और आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। यह है।

वैधानिक अधिनियमों और उनमें संशोधनों के पीछे का मुख्य उद्देश्य, जिनके विवरण पर ध्यान दिया गया है। सी. बी. आई. का निदेशक एक प्रचुर मात्रा में शक्तिशाली संगठन में शक्ति का केंद्र है, जिसके पास सार्वजनिक जीवन पर बड़े प्रभाव और परिणामों वाले प्रमुख अपराधों और अपराधियों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। अगर सी. बी. आई. को विधायिका की भूमिका और अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और जनता का पूरा विश्वास हासिल करना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिस निदेशक को "कम से कम दो साल" का न्यूनतम सुनिश्चित कार्यकाल दिया गया है, उसे सभी बाहरी हस्तक्षेपों से दूर रखा जाना चाहिए। विद्वान वकीलों के अनुसार, इस तरह से संज्ञानात्मक विधानों यानी सीवीसी अधिनियम, 2003 और डीपीएसई अधिनियम, 1946 (संशोधित के रूप में) के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से आग्रह किया जाता है कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) के तहत प्रतिबंध, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निदेशक का स्थानांतरण समिति की पूर्व सहमति के अलावा नहीं किया जाएगा, का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि निदेशक, सी. बी. आई. को अपनी शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों आदि से वंचित करने के किसी भी प्रयास को शामिल किया जा सके।

जैसा कि सामान्य बोलचाल में समझा जाता है, पदधारी के स्थानांतरण के लिए जो भी और आवश्यक रूप से संबंधित नहीं है। विद्वान वकीलों के अनुसार, जब तक कि इस तरह के अर्थ को डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) के प्रावधानों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तब तक विधायी इरादे को व्यर्थ कर दिया जाएगा और इसी तरह पूरी न्यायिक कवायद समाप्त हो जाएगी।

25. विद्वान वकीलों के अनुसार, वर्तमान मामले में शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। वहाँ हो सकता है ए. एल. ओ. के. कुमार वर्मा बनाम की पूर्व सहमति लिए बिना अधिसूचित किए गए विवादित आदेशों के बल पर की गई कार्रवाई की कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी।

भारत संघ [रंजन गोगोई, सीजेआई]

डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 की धारा 4ए (1) के तहत गठित निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए समिति। 26. वैकल्पिक तर्क यह दिया गया है कि यदि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) के प्रावधानों को "स्थानांतरण" शब्द को समझकर "संकीर्ण रूप से" समझा जाना है जैसा कि सामान्य रूप से सेवा न्यायशास्त्र में समझा जाता है, तो विवादित अभ्यास की अंतिम वैधता को उचित ठहराने के लिए पर्याप्तता और पर्याप्त कारणों से जांचना होगा।

निदेशक, सी. बी. आई. के कार्यकाल में समयपूर्व कटौती। ऐसा नहीं है।

विद्वान सलाहकारों के अनुसार, औचित्य मौजूद है। इस संबंध में, यह बताया गया है कि विशेष निदेशक, सी. बी. आई. श्री राकेश अस्थाना द्वारा निदेशक, सी. बी. आई. के खिलाफ लगाए गए आरोप और सी. वी. सी. द्वारा इस तरह के आरोपों की कथित जांच और मध्यावधि के दौरान शक्तियों का विनिवेश, यानी जांच के लंबित रहने, संपार्श्विक कारणों से प्रेरित पूरी तरह से अनुचित कार्रवाई हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा व्यापक जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

27. उपरोक्त तर्क का विरोध भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने किया है।

जो तर्क देते हैं कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4ए (1) के तहत समिति की भूमिका सिफारिशें करने तक सीमित है जिसके आधार पर केंद्र सरकार को नियुक्ति करनी है। इसके अनुसार

विद्वान अधिवक्ता, एक बार जब समिति द्वारा सिफारिश की जाती है और नियुक्ति की जाती है, तो समिति कार्यात्मक अधिकारी बन जाती है। इस संबंध में शंकरसन दास बनाम भारत संघ 2 और जय सिंह दलाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य 3 का तर्क है कि जब कानून किसी भी पदधारी को, जिसकी सिफारिश की गई हो, नियुक्त किए जाने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि नियुक्ति के बाद नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए गठित समिति से शक्ति के विनिवेश के सभी मामलों में परामर्श किया जाना चाहिए, यहां तक कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए प्रावधान से परे भी। धारा 4 बी (2), यह इंगित किया गया है कि केवल निदेशक के स्थानांतरण के मामलों में पूर्व सहमति की आवश्यकता प्रदान/अनिवार्य है जो इस न्यायालय द्वारा विनीत नारायण (ऊपर) में रिपोर्ट के पैराग्राफ 58 (8) में भी निर्देशित किया गया था। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान एक नहीं है

स्थानांतरण का मामला ताकि समिति की पूर्व सहमति की आवश्यकता हो

2 (1991) 3 एससीसी 47

3 1993 सप.

डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी (2) के तहत। न्यायालय को केंद्र सरकार में निदेशक, सी. बी. आई. को उनकी शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों आदि से वंचित करने की शक्ति को मान्यता देने के लिए राजी करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 16 के प्रावधानों पर भी भरोसा रखा गया है। के अनुसार

विद्वान अधिवक्ता को निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति की शक्ति के तार्किक परिणाम के रूप में विभाजित करने की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए जो केंद्र सरकार में निहित है।

28. दूसरी ओर, सीवीसी की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि केवल एक की नियुक्ति पर

निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य, पदधारी लोक सेवक/सरकारी कर्मचारी होना बंद नहीं करते हैं। विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, वह एक सिविल सेवक बना हुआ है; भारतीय पुलिस सेवा का एक सदस्य जो सभी सेवा शर्तों के लिए उत्तरदायी है।

29. संक्षेप में, ये चुनाव लड़ने वाले दलों की व्यापक दलीलें हैं। इसके लिए विद्वान सलाहकारों द्वारा आगे पूरक किया गया है याचिकाकर्ता ने कहा कि संबंधित कानूनों के प्रावधानों की सार्थक व्याख्या पर न्यायालय को यह विचार रखना चाहिए कि उसमें जो प्रदान किया गया है वह पद धारण करने वाले पदधारी का पूर्ण संरक्षण है -

डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए के तहत समिति की पूर्व सहमति के अलावा सी. बी. आई. के निदेशक और उनकी निरंतरता और कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। समिति की पूर्व सहमति से किए गए स्थानांतरण या अन्यथा निदेशक के पद पर बने रहने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवक जैसे पदधारी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है।

30. प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के लिए न्यायालय को विवादित पक्ष की वैधता निर्धारित करने के लिए दो मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

आदेश देते हैं। पहला सीवीसी और भारत सरकार की क्षमता है कि वे निदेशक, सी. बी. आई. को अपनी सभी शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों से वंचित कर दें। डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए (1) के तहत गठित समिति की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना पर्यवेक्षी भूमिका, आदि को आलोक कुमार वर्मा बनाम बनाने के लिए।

निदेशक, सी. बी. आई. की नियुक्ति के लिए सिफारिशें। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अपनी दलीलों में इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की पूर्व सहमति प्राप्त करना क़ानून के तहत अंतर्निहित जनादेश है जो विनीत नारायण (ऊपर) के पैराग्राफ 58 में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए परिचालन निर्देशों से प्रवाहित होता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों के अनुसार, समिति की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना पारित किए गए विवादित आदेश कानूनी रूप से गैर-कानूनी हैं और वर्तमान मामले में वास्तव में किसी अन्य मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

31. उपरोक्त विवाद कानून के ज्ञात और स्थापित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर जवाबदेह कानून का एक शुद्ध सवाल उठाता है, जिसमें शामिल हैं -

सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 और डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 के प्रावधानों की व्याख्या और आगे इस तरह के विधायी इरादे के आलोक में जिसे विचाराधीन अधिनियम बनाने में देखा जा सकता है। हम न केवल उपरोक्त बताए गए कारण के लिए पहली बार में उक्त प्रश्न से निपटना पसंद करते हैं, बल्कि इस तरह का अभ्यास अनिवार्य हो जाता है।

क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न जो उसमें अंतर्निहित हैं। उपरोक्त आधार पर

32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 का अधिनियमन और डी. एस. पी. ई. अधिनियम (सी. वी. सी. अधिनियम, 2003 की धारा 26 द्वारा) में उक्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन, अन्य बातों के साथ-साथ, विनीत नारायण (उपरोक्त) के पैराग्राफ 58 में इस न्यायालय के परिचालन निर्देशों की अगली कड़ी हैं। विधायिका ने अपने विवेक से विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्देशों को किसी भी तरह से कम करने की आवश्यकता पर विचार नहीं किया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका निदेशक के रूप में, सी. बी. आई. का, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विनीत नारायण (ऊपर) में कहा गया है, संसद द्वारा ईमानदारी से पालन किया गया है। वास्तव में, इस स्तर पर, हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि संसद ने अपने दम पर लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्या 1) द्वारा डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए में संशोधन करके [2019] 1 एस. सी. आर. को प्रभावी बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है।

विनीत नारायण (ऊपर) में दिए गए इस न्यायालय के निर्देशों का उद्देश्य सिफारिशें करने के लिए समिति को बदलना है। निदेशक की नियुक्ति के लिए, सी. बी. आई. को चयन के लिए एक उच्च शक्ति चयन समिति प्रदान करने की आवश्यकता बताई गई है।

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निदेशक "।

33. न्यायालय, वास्तविक विधायी इरादे को समझने के लिए अपने प्रयास में

विचाराधीन वैधानिक अधिनियमों के पीछे, विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अनजान नहीं हो सकता है, जिससे पैरा 58 में परिचालन निर्देश दिए गए जो विचाराधीन विधायी अभ्यास का आधार बने। विनीत नारायण (उपरोक्त) के पैराग्राफ 58 में निहित परिणामी निर्देशों को वैधानिक अधिनियमों के रूप में शामिल करने से पहले उक्त विचारों पर संसद द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था, जिसका विवरण पहले देखा जा चुका है। इस संबंध में, विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 और 48 में एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए ताकि इसकी सामग्री को याद किया जा सके जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

" 3. इस अनुभव ने हमें इन्सुलेशन की आवश्यकता के बारे में बताया

इन एजेंसियों को किसी भी बाहरी प्रभाव से सुनिश्चित करने के लिए

उन्होंने जो अच्छा काम शुरू किया है, उसकी निरंतरता। यह बात है।

आवश्यकता जिसने हमें इनकी संरचना की जांच करने के लिए प्रेरित किया है

अभिकरणों और आवश्यक कदमों पर विचार करना जो प्रदान करेंगे

ताकि वे आवश्यक तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। कानून के शासन के उचित कार्यान्वयन के लिए। स्थायी उपाय

हर मामले को लाने की आवश्यकता से बचने के लिए आवश्यक हैं

वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए तदर्थ उपाय करने के लिए न्यायालय।

यह हमारे लिए संरचना, संविधान से निपटने का अवसर है

और एक निष्पक्ष और निष्पक्ष होने के लिए आवश्यक स्थायी उपाय

निष्पक्ष एजेंसी। कानून के शासन के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता

इन कार्यवाहियों में सभी संबंधितों द्वारा प्रदर्शित किया जाना सबसे निश्चित है

लोकतंत्र के अस्तित्व की गारंटी जिसके लिए कानून का शासन है

आप कभी भी इतने ऊँचे, कानून आपके ऊपर है ", सभी कदमों को नियंत्रित किया है इन कार्यवाही में हमारे द्वारा लिया गया।

XXX

XXX

XXX

48. सभी द्वारा साझा की गई आम धारणा को ध्यान में रखते हुए

भारत सरकार और स्वतंत्र समीक्षा समिति अलोक कुमार वर्मा बनाम।

(आई. आर. सी.) किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सी. बी. आई. के बचाव की आवश्यकता के बारे में, यह आवश्यक है कि कानून के शासन के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस स्थिति को जारी रखने से रोकने के लिए तत्काल कुछ कार्रवाई की जाए। यह है जरूरत

संविधान में समानता की गारंटी। इस तरह की स्थिति में समानता का अधिकार भारतीय राजनीति का है, न कि केवल कुछ व्यक्तियों का। द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ

इस दोष को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान पर्याप्त है

समानता की अवधारणा को लागू करना "।

34. डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए और धारा 4 बी में निहित प्रावधानों को बनाने में विधायिका के इरादे को इकट्ठा करते समय इन बुनियादी तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस मामले पर गहराई से विचार करने से हमें कोई संदेह नहीं होता है कि उपरोक्त प्रावधानों को कानून की पुस्तक में लाने का स्पष्ट विधायी इरादा निदेशक, सी. बी. आई. के कार्यालय को सभी प्रकार के बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ-साथ समग्र रूप से सी. बी. आई. की संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से है।

35. कुछ अन्य प्रासंगिक तथ्य हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विभिन्न राज्य अधिनियमों (पुलिस अधिनियम) के प्रावधान, उदाहरण के लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, इस न्यायालय के निर्णय के बाद

प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 1, राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो साल के कार्यकाल का प्रावधान करते हुए, कुछ निर्दिष्ट आधारों (धारा 20 (4) और (5)) पर कार्यकाल की समाप्ति से पहले पदधारी को हटाने पर स्पष्ट रूप से विचार करता है। इसी तरह, सीवीसी अधिनियम की धारा 6, जिसे ऊपर निकाला गया है, विशेष रूप से कुछ अंतरिम उपायों पर विचार करती है

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त के खिलाफ राष्ट्रपति द्वारा ऐसे किसी भी पदधारी को हटाने के लिए न्यायालय को दिए गए निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक। सी. वी. सी. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा उल्लिखित कुछ आकस्मिकताओं पर उपरोक्त पदों में से किसी को भी हटाने पर भी विचार किया जाता है। डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) में जो निहित है, उसके अलावा जहां तक निदेशक, सी. बी. आई. के कार्यालय का संबंध है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अर्थात् "निदेशक का स्थानांतरण पिछले प्रावधान के अलावा नहीं किया जाएगा।

धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सहमति

4 ए "। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, डी. एस. पी. ई. अधिनियम की उप-धारा (2) सहित धारा 4 बी, जो आज भी मौजूद है, उसी विधान यानी सी. वी. सी. अधिनियम (2003 का अधिनियम No.45) द्वारा लाई गई थी।

36. यदि विधायी इरादा राज्य के किसी भी प्राधिकरण को इसके खिलाफ अंतरिम उपाय करने की शक्ति प्रदान करना होता

निदेशक, सी. बी. आई. जिससे उनके कामकाज पर असर पड़ता है, निश्चित रूप से, कानून में उस प्रभाव के लिए सक्षम प्रावधान शामिल होते और इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग शब्दों और मसौदा तैयार किया जाता। यह इस पृष्ठभूमि में है कि डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 बी. (2) में उल्लिखित "समिति की पूर्व सहमति के अलावा स्थानांतरित" शब्दों को समझना होगा। यदि "हस्तांतरित" शब्द को उसकी सामान्य भाषा में समझना है और एक पद से दूसरे पद में परिवर्तन तक सीमित है, जैसा कि शब्द सामान्य रूप से व्यक्त करता है और उस आधार पर "समिति की पूर्व सहमति" की आवश्यकता को केवल इन शब्दों में समझा जाता है -

ऐसे मामले, अर्थात विशुद्ध रूप से स्थानांतरण के मामले में, ऐसी व्याख्या आत्म-पराजय होगी और स्पष्ट रूप से विधायी इरादे को नकार देगी। ऐसी स्थिति में राज्य प्राधिकरण प्रभावी रूप से इसे हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

बिना किसी भय और पक्षपात के और सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में प्रमुख जांच और अभियोजन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। संस्थान के प्रमुख, अर्थात् निदेशक को, स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्रता और अखंडता का आदर्श होना चाहिए, जिसे केवल सभी प्रकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप से स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, सिवाय उस सीमा के जब तक संसद ने इरादा किया हो। हमारे सुविचारित विचार में, इस तरह के इरादे के लिए सभी प्राधिकरणों को निदेशक के कामकाज में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने से दूर रहने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में जहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता की पृष्ठभूमि में जनहित को व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए। ऐसी अनिवार्य आवश्यकता को जन्म देने वाले कारणों की प्रासंगिकता और पर्याप्तता का परीक्षण केवल डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए (1) के तहत गठित समिति की राय से किया जा सकता है, जिसमें निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने की शक्ति संसद द्वारा निहित की गई है। यह अकेले अलोक कुमार वर्मा v प्रदान कर सकता है।

हमारे द्वारा पाए गए और रखे गए विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा। इस संबंध में हम यह कहते हुए दृढ़ महसूस करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्या 1) द्वारा लाए गए संशोधन से समिति की स्थिति में वृद्धि हुई है और यह कहा जा सकता है कि निदेशक के कार्यालय को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाने और बचाने का विधायी इरादा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। संसद ने ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में लाए गए कानून में परिवर्तनों में अभिव्यक्ति पाई।

37. महत्व का एक और मुद्दा है जो लंबी बहस के दौरान आगे बढ़े भारी तर्कों से उत्पन्न होता है

हुआ है। यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14,15 और 16 को लागू करने के संबंध में है ताकि

केंद्र सरकार सी. बी. आई. के कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति के आदेश सहित विवादित आदेश पारित करेगी। डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए और 4 बी में निहित प्रावधानों के सही और सही अर्थ पर पिछली चर्चाओं और हमारे विचारों ने हमें आश्वस्त किया है कि

डी. एस. पी. ई. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट रूप से प्रवाहित होने वाले इसके विपरीत स्पष्ट और स्पष्ट इरादे को देखते हुए सामान्य खंड अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

न्यायालय के दिमाग का संकेत है कि मामले के इस पहलू को केवल तभी उजागर करने की आवश्यकता है जब अपरिहार्य हो और वह भी अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर नकारात्मक निर्णय की स्थिति में। अंतर्निहित सीमा इस तरह के अभ्यास में, यदि बिल्कुल भी किया जाना है, तो एक और अवरोधक कारक है। हालांकि यह हो सकता है कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्णय को देखते हुए इस तरह की कवायद अब पूरी तरह से अनावश्यक हो गई है।

39. नतीजतन, ऊपर व्यक्त किए गए अपने विचारों के आलोक में हम 23 अक्टूबर, 2018 के निम्नलिखित आदेशों को दरकिनार करते हैं:

(i) सी. वी. सी. द्वारा श्री आलोक कुमार वर्मा की शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों, पर्यवेक्षी भूमिका आदि को निदेशक, सी. बी. आई. [2019] 1 एस. सी. आर.

((ii) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई. को अपने पद से हटा दिया है।

कार्य, शक्तियाँ, कर्तव्य और पर्यवेक्षी भूमिका तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक।

((iii) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसके द्वारा श्री एम. नागेश्वर राव, आई. पी. एस., संयुक्त निदेशक, सी. बी. आई. को सी. बी. आई. के कर्तव्यों और कार्यों को देखने के लिए कहा गया है।

निदेशक, तत्काल प्रभाव से सी. बी. आई.

40. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे हस्तक्षेप के लिए अब डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 ए (1) के तहत समिति द्वारा इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता होगी। 1946 जो इस आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में किया जा सकता है। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति की एक बैठक बुलाई जा सकती है।

41. सत्ता के विनिवेश और अधिकार के मुद्दे के रूप में

निदेशक, सी. बी. आई. अभी भी समिति द्वारा विचार के लिए खुला है और विवादित आदेशों में हमारा हस्तक्षेप ऊपर बताए गए आधार पर किया गया है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ता श्री आलोक कुमार वर्मा, निदेशक, सी. बी. आई., बहाली के बाद, तब तक कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेना बंद कर देंगे जब तक कि इस तरह की कार्रवाई और निर्णयों की अनुमति देने वाली समिति का निर्णय समय के भीतर उपलब्ध नहीं हो जाता है।

फ्रेम इंगित किया गया। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस दौरान याचिकाकर्ता श्री आलोक कुमार वर्मा की भूमिका निदेशक, सी. बी. आई. के रूप में थी।

और इस आदेश के संदर्भ में किसी भी नई पहल के बिना केवल चल रहे नियमित कार्यों के अभ्यास तक ही सीमित रहेगा, जिसका कोई बड़ी नीति या संस्थागत प्रभाव नहीं होगा। 42. दाखिल किए गए कई आई. ए. पर आते हुए, हमारा विचार है कि उक्त आई. ए. में आक्षेपित/उल्लिखित स्थानांतरण आदि के आदेश 23 अक्टूबर, 2018 के तीन आदेशों की अगली कड़ी हैं जो विशेष रूप से थे।

रिट याचिकाओं में आक्षेपित। जैसा कि हमने रिट याचिकाओं का जवाब दिया है। ऊपर बताए गए तरीके से, हम स्थानांतरण आदि के आगे/परिणामी आदेशों की शुद्धता की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं और वह भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबित रिट याचिकाओं में दायर अंतर्वर्ती आवेदनों के आधार पर, जिनका वर्तमान आदेश द्वारा निपटारा किया जाता है। हालाँकि, हम पक्षों को आलोक कुमार वर्मा बनाम के उपचार के साथ छोड़ देते हैं।

भारत संघ [रंजन गोगोई,

सीजेआई]

उक्त परिणामी आदेशों को उचित तरीके से और उपयुक्त मंच के समक्ष चुनौती देना, यदि आवश्यक हो और इसलिए सलाह दी गई हो।

43. दोनों रिट याचिकाओं और सभी आई. ए. का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

से।

देविका गुजराल